न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 6/2016

अपीलार्थी–	***बनाम***	**उत्तरदाता–**
पीरदान पुत्र चेनदान जाति चारण निवासी साता तहसील सेडवा जिला बाड़मेर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सेडवा

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.02.2016 जो प्रकरण सं. 05/2016 में तहसीलदार सेड़वा द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री पदमसिंह पडिहार, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री रतनाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 13/01/2021

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रकरण सं. 05/2016 सरकार बनाम पीरदान में पारित निर्णय दिनांक 18.02.2016 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का साता द्वारा तहसीलदार सेड़वा के समक्ष एक रिपोर्ट दिनांक 27.01.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम साता के खसरा नम्बर 260/129 रकबा 01–02 बीघा गैर मुमकीन पावतन में से 01–02 [illegible] सरकारी भूमि पर गैर सायल पीरदान वल्द चेनदान कौम चारण साकिन [illegible] द्वारा बाड़ा व ईंटों का अपूर्ण निर्माण कर कब्जा व अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है इसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। हल्का पटवारी ने उक्त रिपोर्ट में विशेष नोट में यह भी उल्लेखित किया कि नियमित अतिक्रमी 2070 में भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:39:02 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अतिक्रमण किया है, गत वर्ष मु.न. 26 / 2014 दर्ज कर निर्णय दिनांक 21.10.2014 की पालना में दिनांक 28.10.2014 को बेदखल किया गया था, अतः आदतन अतिक्रमी है। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। वक्त पेशी गैर सायल द्वारा अवैध कब्जा करना स्वीकार किया। इस पर तहसीलदार सेड़वा द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण के लिए धारा 91(2) के तहत अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 18.02.2016 के द्वारा 3.00 / – रूपये जुर्माना अधिरोपित करते हुए विवादित भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स ने दिनांक 02.03.2016 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना प्रकरण का निस्तारण कर दिया तथा अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश पारित करने मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है। अपीलांट भारत–पाक युद्ध 1971 में पाक से विस्थापित होकर शरणार्थी के रूप में परिवार सहित आया और मौजा साता के खसरा नं[illegible]/129 में राज्य सरकार के निर्देशानुसार तत्कालीन पटवारी व तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन भूमि पर काबिज करवाया गया तब से लेकर आज दिन तक अपीलांट का परिवार इसी भूमि पर निवास करता आ रहा है कोई नया कब्जा अपीलांट द्वारा नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:39:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर ... बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

किया गया है। अपीलार्थी के पास ग्राम पंचायत साता में उक्त भूखण्ड के अलावा किसी प्रकार की खातेदारी की भूमि भी नहीं है। राज्य सरकार के राजस्व ग्रुप–3 द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ(162)राज3 / 94 दिनांक 18.02.1994 द्वारा स्थाई रूप से निर्देशित किया गया है कि चौहटन व बाड़मेर तहसील जिसमें सेड़वा नव सृजित तहसील समाहित है में 1971 भारत–पाक युद्ध में आकर बसे हुये विस्थापितों को जहां बसे हैं उसी भूमि को आबादी में परिवर्तन करते हुए आवश्यक कार्यवाही करें एवं तबतक उन्हें बेदखल नहीं करें। इस निर्देश के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेंट की ओर से जवाब मे राजकीय अधिवक्ता ने प्रकट किया है कि अपीलांट के विरूद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम साता के खसरा नम्बर 260 / 129 रकबा 01–02 बीघा गैर मुमकीन पावतन में से 01–02 बीघा सरकारी भूमि पर गैर सायल पीरदान वल्द चेनदान कौम चारण साकिन साता द्वारा बाड़ा व ईंटों का अपूर्ण निर्माण कर कब्जा व अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। हल्का पटवारी ने उक्त रिपोर्ट में विशेष नोट में यह भी उल्लेखित किया कि नियमित अतिक्रमी 2070 में भी अतिक्रमण किया है, गत वर्ष मु.न. 26 / 2014 दर्ज कर निर्णय दिनांक 21.10.2014 की पालना में दिनांक 28.10.2014 को बेदखल किया गया था, अतः आदतन अतिक्रमी है। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। वक्त पेशी गैर सायल द्वारा अवैध कब्जा करना स्वीकार किया। इस पर तहसीलदार सेड़वा द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण के लिए धारा 91(2) के तहत

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:39:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 18.02.2016 के द्वारा 3.00 / – रूपये जुर्माना अधिरोपित करते हुए विवादित भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है तथा अपीलांट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

6. हमने अपीलांट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया एवं अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने प्रकट किया है कि अपीलांट भारत–पाक युद्ध 1971 में पाक से विस्थापित होकर शरणार्थी के रूप में परिवार सहित आया और मौजा साता के खसरा नंबर 269 / 129 में राज्य सरकार के निर्देशानुसार तत्कालीन पटवारी व तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन भूमि पर काबिज करवाया गया तब से लेकर आज दिन तक अपीलांट का परिवार इसी भूमि पर निवास करता आ रहा है कोई नया कब्जा अपीलांट द्वारा नहीं किया गया है। इसके अलावा यह भी प्रकट किया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार पाक विस्थापितों को जहां बसे हुये हैं उसी स्थान को आबादी में परिवर्तित किया जावे तथा उन्हें बेदखल नहीं किया जावे। अपील के जवाब में राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया कि ग्राम साता में पाक विस्थापितों को बसाये जाने हेतु पृथक से 28–06 बीघा आबादी भूमि आवंटित की गई है। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि को छोड़कर नये भूखण्ड मुतनाजा भूमि पर नाजायज कब्जा किया है। ग्राम पंचायत साता में 31–14 बीघा आबादी भूमि वक्त बंदोबस्त से है तथा शरणार्थियों हेतु 28–06 बीघा आवंटन होने पश्चात कुल 60 बीघा भूमि उपलब्ध है। गैर सायल का रहवासीय मकान गैर मुमकिन आबादी खसरा नंबर 287 / 141 में बना हुआ है। इस प्रकार राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकट जवाब [illegible] के अवलोकन से अपीलार्थी की यह अपील पूर्णतया [illegible] एवं सारही[illegible] आधारों पर होना प्रतीत होता है। ऐसे मे अधिनस्थ न्याया[illegible] आदेश के जरिये अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने किये जाने का जो निर्णय पारित

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:39:02 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

किया गया है, उसमे हमारे मत से किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सेड़वा द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2016 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकर तहसीलदार सेड़वा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय के अनुक्रम मे नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करावें।

8. निर्णय आज दिनांक 13.01.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:39:02 IST
Reason: SelfAttested